

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) लखीमपुर-खीरी।

प्र०दी०वाद सं०— 116 सन् 2022

सी०आर० सं०— 241 सन् 2022

ऊषा देवी बनाम सुन्दर लाल आदि

04.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। वादी पूर्व कई तिथियों से अनुपस्थित है। आज भी बार-बार पुकार कराये जाने पर वादी अनुपस्थित है और न ही वादी द्वारा स्थगन प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले को लम्बित रखने का कोई तर्क संगत आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद सं० 116/22 वादी की अनुपस्थिति में एवं प्रतिवादी सं० 1 की उपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

सिविल जज, (जू०डि०),
लखीमपुर-खीरी।